मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रमेश कुमार बनाम शिशपाल

दावा बाबत :– 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :– 186/2021

निर्णय दिनांक :– 10-12-2021

वादी की ओर से वकील सरजीत बिजारणिया की व प्रतिवादी सं0 1 (1) की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं० 92/89 के खसरा सं० 36 की 5.1350 है०, खसरा सं० 64 की 3.8190 है०, खसरा सं० 143 की 3.6420 है० कुल 12.5960 है० काश्तो कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 शिशपाल के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मेरे प्रतिवादी सं. 1 शिशपाल के बजाए वादी रमेश कुमार व प्रतिवादी सं. 1 शिशपाल, प्रतिवादी सं. 3 मनजिंदर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं. 2 ने अपना सम्पूर्ण हक बहिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 के पक्ष में त्याग कर मुन्द्रा कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) R.A.S.
प्रशा. के संग अ.-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner